तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24.5.17	पत्रावली आज बमुकाम केम्प कोर्ट हरियाणा में प्रस्तुत की गयी। प्रार्थी भाकरराम स्वंय उपस्थित हुआ तथा प्रतिवादी संख्या-1 देवराम स्वंय उपस्थित हुआ। जिनके आईर शीट पर हस्ताक्षर करवाये गये। प्रार्थी भाकरराम ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि ग्राम देवनगर की सरहद में स्थित भूमि रकबरा नम्बर 2554, 2556, 2560/4, 2568 में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का है। इसी प्रकार रकबरा नम्बर 2567 में प्रार्थी का 1/2 हिस्से में से 1/4 हिस्सा है। प्रार्थी का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है। पारिवारिक बात को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 प्रार्थी से नाराज रहते हैं एवं उनके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। अप्रार्थी ने दिनांक 15/6/2016 को ग्राम हरियाणा में जान से मारने की धमकी दी है इसकारण प्रथम दृस्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी का कब्जा है। इस कारण तुलनात्मक सुविधा भी प्रार्थी के पक्ष में है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थी को अपूर्णनीय हानि होगी। अन्त में प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। अप्रार्थी संख्या-1 देवाराम ने बहस में बताया कि जब तक भूमि का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक पक्षकार का हक व हिस्सा होता है। इस कारण मौजूदा वाद में बंटवारा हो जाने के बाद ही निर्धारित होगा कि किस पक्षकार के हिस्से में भूमि आयी है, अगर प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी तो अनिस्फल प्रार्थी से अप्रार्थीगण को ज्यादा हानि होगी। अन्त में निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

FORM NO. III

AAP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

दालत ______ मुकाम ______

______ बनाम ______

मुकदमा ______ नं. ______ सन् ______

ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.5.17	गया पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी व नक्शा के दस्तावेज से विदित होता है कि प्रार्थी व अप्रार्थी गण की भूमि शामलाती है। जब तक सभी पक्षकारों के बीच बंटवाड़ा नहीं हो जाता तब तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। मौजूदा प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया के तुलनात्मक सुविधा व अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर एव उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा	